

To be published in National Dailies
To be uploaded on the website of the Department & other concerned Institutes

No: N-2206/89/2022-NI
Government of India
Ministry of Social Justice and Empowerment
Department of Empowerment of Persons with Disabilities

Dated the 25th April 2023

Circular

Subject:- Appointment of Director of 07 National Institutes (Autonomous Bodies) under the administrative control of DEPwD.


Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India invited **online applications** for filing up the post of Director of 07 National Institutes (SVNIRTAR, Cuttack; NILD, Kolkata; PDUNIPPD, Delhi; NIEPVD, Dehradun; NIEPMD, Chennai; AYJNISHD, Mumbai and NIEPID, Secunderabad) under DEPwD. The said advertisement was published in National Dailies on 10.12.2022 and in Employment News in its edition dated 17th to 23rd December, 2022. The detailed advertisement was circulated through website of the Department <https://disabilityaffairs.gov.in> and other concerned organizations. The last date for receipt of online applications was 01st February 2023.

2. Now, it has been decided that, as a one-time measure, the online form for applying to the post of Director of aforementioned 07 National Institutes is reopened for a period of 15 days from 25th April 2023 to **9th May 2023 (till 5:00 PM)**. The link for the same is <http://depwdnidirector.in/>. All other terms and conditions mentioned in the advertisement circulated vide this Department's Office Memorandum dated 07.12.2022 remains same.

3. All the applicants who had earlier applied for the post may revisit their application form again to check that whether they have filled details in mandatory fields and all their requisite documents are uploaded.

4. The applicants may note that the Department is filtering applications on the basis of unique Aadhaar number. If the applicant has filled up multiple forms by using different mobile numbers, the applicant is advised to fill up one form preferably with unique Aadhaar and mobile OTP, and delete other forms.

5. The prospective applicants, who were previously not able to apply due to any technical issue, can apply.


(Anupam Shukla)

Under Secretary to the Government of India

राष्ट्रीय दैनिकों में प्रकाशित किए जाने हेतु
विभाग एवं अन्य संबंधित संस्थानों की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

सं: एन-2206/89/2022-एनआई

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

परिपत्र

दिनांक 25.04.2023

विषय :- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 07 राष्ट्रीय संस्थानों (स्वायत्त निकायों) के निदेशक की नियुक्ति हेतु।


दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 07 राष्ट्रीय संस्थानों (स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक; राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता; पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली; राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून; राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई; अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई; राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिक्कराबाद) के निदेशक पद की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। उक्त विज्ञापन राष्ट्रीय अखबारों में दिनांक 10.12.2022 को और रोजगार समाचार में दिनांक 17 से 23 दिसंबर, 2022 के संस्करण में प्रकाशित किया गया था। विस्तृत विज्ञापन विभाग की वेबसाइट <https://disabilityaffairs.gov.in> और अन्य संबंधित संगठनों के माध्यम से प्रसारित किया गया था। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 01 फरवरी 2023 थी।

2. अब, यह निर्णय लिया गया है कि, एक बार की छूट के रूप में, उपरोक्त 07 राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशक के पद पर आवेदन करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 15 दिनों की अवधि के लिए अर्थात् 25 अप्रैल 2023 से 9 मई 2023 (शाम 5 बजे तक) तक फिर से खोला जाता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक <http://depwdnidirector.in/> है। इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07.12.2022 द्वारा परिचालित विज्ञापन में उल्लिखित अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत रहेंगी।

3. सभी आवेदक जिन्होंने पहले पद के लिए आवेदन किया था, वे अपने आवेदन पत्र की फिर से जांच कर सकते हैं कि क्या उन्होंने अनिवार्य क्षेत्रों में विवरण भरा है और उनके सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए गए हैं।

4. आवेदक ध्यान दें कि विभाग अद्वितीय आधार संख्या के आधार पर आवेदनों को फ़िल्टर कर रहा है। यदि आवेदक ने विभिन्न मोबाइल नंबरों का उपयोग करके कई फॉर्म भरे हैं, तो आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह एक फॉर्म को विशेष रूप से अद्वितीय आधार और मोबाइल ओटीपी के साथ भरें और अन्य फॉर्मों को हटा दें।

5. संभावित आवेदक, जो पहले किसी तकनीकी समस्या के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे, आवेदन कर सकते हैं।


(अनुपम शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार